UPAL010020322026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी–(PANKAJ KUMAR AGRAWAL)(उच्चतर न्यायिक सेवा)

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–916 सन् 2026

आस मौहम्मद पुत्र अकबर निवासी–ग्राम गौमत थाना खैर, जनपद–अलीगढ़।

..... अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी/वादी

आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र आदेशार्थ पेश हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है।

2. प्रार्थना पत्र **प्रार्थी/अभियुक्त आस मौहम्मद पुत्र अकबर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 104/2026, धारा–191(2),191(3),115(2),131,333,74,76,109(1), 351(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता,थाना खैर,जिला** अलीगढ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक–13.02.2026 को प्रातः लगभग 10.00 बजे वादिया खुशनुमा अपने घर पर खाना बना रही थी उसी समय नीचे लिखित नामजद अभियुक्तगण पूर्व नियोजित राय मशविरा कर व साझा इरादे से वादिया के घर जबरन घुस आए और वादिया व उसके पति मुन्तियाज तथा देवर इंतियाज को गालियॉ देते हुए अपमानित करने लगे। विरोध करने पर अभियुक्तगण लाठी–हाकी, लोहे की राड व अन्य हथियारों से वादिया पर हमला करने लगे। वादिया के पैर पर लोहे की राड से वार किया गया जिससे वादिया के गम्भीर चोटे आयी। वादिया के साथ धक्का मुक्की, अश्लील हरकत की गयी तथा कपडे फाड दिए गए। अभियुक्तगण वादिया के गले में उसके ही दुपटटे से फंदा बनाकर गला कस दिया और वादिया को जमीन पर घसीटा, जिससे वादिया को सांस लेने में दिक्कत हुई तथा गर्दन व शरीर पर चोटे आयी। यह कृत्य वादिया की जान लेने की नीयत से किया गया। शोर सुनकर पडौसी शोएब बचाव के लिए मौके पर आये तो अभियुक्तगण ने उन पर भी हमला कर दिया और उनके सिर पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे उन्हे गम्भीर चोट आयी। इसी दौरान फुरकान ने अवेध तंमचे से जान से मारने की नीयत से फायर किया जिससे पूरे परिवार व मौहल्ले में दहशत फैल गयी और वादिया की जान को गम्भीर खतरा उत्पन्न हुआ।सभी अभियुक्तगण ने मिलकर जान से मारने की धमकी दी।

उक्त सभी अभियुक्तगण का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है तथा वे क्षेत्र में दंबग प्रवृति के है। उनके भय से वादिया व उसके परिवार को जान माल का गम्भीर खतरा है। नामजद अभियुक्तगण मेहरवान पुत्र रहमान, शोएब पुत्र मेहरबान, मुस्तकीम, फरियाद, नईम पुत्र भूड्डू, बाबूल पुत्र फरियाद, तौहीद पुत्र मुस्तकीम, फुरकान पुत्र यूनुस, कमाल पुत्र यूनुस, सलमान पुत्र छोटे, **आस मौहम्मद पुत्र यूनुस** सभी ग्राम गौमत थाना खैर अलीगढ के निवासी है।

4. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है उसे उक्त घटना में झूंठा फंसाया गया है। दिनांक– 13.02.2026 को समय करीब चार बजे शाम को वादिया का पति मुन्तियाज तथा देवर इंतियाज अपने साथियों के साथ मिलकर अभियुक्त के ग्राम के ही बबलू पुत्र फरियाद के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट कर रहे थे जिसे अभियुक्त ने ग्राम के शरीफ व अन्य लोगो की मदद से बचाया उक्त घटना की वीडियो रिकॉडिंग है जो वादिया के पति देवर ने अपने सहयोगियों अरमान व चांद के साथ स्वयं वनायी और ग्राम के भय व्याप्त करने के आशय से वायंरल भी की जो अभियुक्त के पैरोकार के पास मौजूद है। बबलू के साथ हुई घटना के सम्बन्ध में बबलू की मॉ गोलो ने मुकदमा अपराध संख्या– 103/2026 राज्य बनाम मुम्तियाज आदि थाना खैर अलीगढ़ पर दिनांक–14.02.2026 को दर्ज कराया था जिसके सम्बन्ध में इलाका पुलिस के पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने पुलिस को वादिया के पति मुम्तियाज व देवर व सहयोगी के विरूद्ध गवाही दी। अभियुक्त के गवाही करने से नाराज होकर वादिया ने अपने पति व उसके साथियों को बचाने के लिए यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। अभियुक्त को उसके घर से पुलिस यह कहकर अपने साथ थाने लायी कि इंसपेक्टर साहब बुला रहे है मुकदमा अपराध संख्या–103/2026 के बारे में आपकी गवाही पूछताछ करानी है। वादिया से साज कर पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है। घटना का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी नही है। अभियुक्त के पास से किसी तरह की कोई रिकवरी नही हुई है। अभियुक्त का कोई विशेष रोल नही दिखाया गया है। वादी के परिवारिक एक एप्रोचफुल एवं दबंग व्यक्ति है। वादिया मुकदमा के दर्शायी गयी चोटे सामान्य प्रकृति की है एवं सारी चोटे बनायी जा सकती है। वादिया के कोई गनशार्ट इंजरी नही है। अभियुक्त दिनांक–14.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुनाया गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त तहरीर में नामित अभियुक्त है। तहरीर के अनुसार दिनांक–13.02.2026 को प्रातः 10.00 बजे जब वादिया अपने घर पर खाना बना रही थी तभी अभियुक्त ने 16 सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिया व उसके पति मुन्तियाज तथा देवर इंतियाज को गालियॉ देते हुए अपमानित करने लगे। विरोध करने पर अभियुक्तगण लाठी–हाकी, लोहे की राड व अन्य हथियारों से वादिया पर हमला करने लगे। वादिया के पैर पर लोहे की राड से वार किया गया जिससे वादिया के गम्भीर चोटे आयी। वादिया के साथ अश्लील हरकत की गयी तथा कपड़े फाड़ दिए तथा वादिया के गले में उसके ही दुपटटे से फंदा बनाकर गला कस दिया और वादिया को जमीन पर घसीटा। सह अभियुक्त फुरकान द्वारा जान से मारने की नीयत से तंमचा से फायर किया गया। वादिनी द्वारा अपने बयान धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तहरीर में उल्लिखित कथनों का समर्थन किया गया है। वादिनी खुशनुमा की आघात आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके दो निम्न चोटे आना दर्शित किया गया है–

1–ABRADED Contusion Right side Leg,Just Below Right Knee Joint,SIZE 11cmX7cm,ADVXRY
2- C/o Pain in Abdomen.

चोट संख्या–1 को जेरे निगरानी रखा गया तथा चोट संख्या–2 को साधारण प्रकृति की और कठोर कुन्दालय से आना दर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त चुटैल मुन्तियाज के चार निम्न चोटे आना दर्शित किया गया है–

1. MULTIPLE Abrasions in Back of ABRDOMEN,in AREA 32cmX23cm
2- ABRASION Left Side Upper ABRDOMEN, Size 7cmX0.5cm
3- ABRASION Right Side Base of Neck, Size 2.4cmX1cm
4- ABRASION Right Side Wrist Joint, Size 1cmX0.1cm

उक्त सभी चोटे साधारण प्रकृति की तथा कठोर कुन्दलाय से आना दर्शित किया गया है। चुटैल खुशनुमा की कोई एक्सरे रिपोर्ट अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नही की गयी है। चुटैल मुन्तियाज के विरूद्ध तीन अन्य मुकदमों का आपराधिक इतिहास होना अभियोजन द्वारा दर्शित किया गया है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि झगड़ा दोनो पक्षों में हआ और दोनो पक्षों द्वारा ही एक–दूसरे के विरूद्ध गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक–14.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आधार जमानत पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **आस मौहम्मद** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०-50,000/-रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि का **एक प्रतिभू** सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि

पर, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक–05.03.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
ID No.-UP-1897
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

टाइपकर्ता– मनोज कुमार (आशुलिपिक)

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.03.05 17:20:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court